न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 01/2024
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 23.05.2024

1. गिर्राज पुत्र रामचन्द्र जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।

वादी

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
2. कृष्णा तिवाडी पुत्री गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
3. पुष्पेन्द्र तिवाडी पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
4. सुनिता दुर्गा देवी पत्नी मदनलाल
5. सुनिल कुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।

नोट:- आदेश दिनांक 12.7.24 के अनुसार प्रतिवादी सं. ④ सुनिता दुर्गा देवी पत्नी मदनलाल के स्थान पर सुनिता शर्मा पुत्री गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज. पढ़ा जावे।

वादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री पुरूषोत्तम शर्मा वकील वादी

श्री विशाल शर्मा वकील प्रतिवादीगण सं0 02 लगायत 05

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:–23.05.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 153 के आराजी खसरा नम्बर 1320, 1321, 1323, 1329, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343, 1351, 1352, 1385, 1389, 1399, 1400, 1401, कुल किता 23 कुल रकबा 8.1560 हैक्टेयर भूमि फागी उत्तर तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त खसरा नम्बरान में से वादी ने अपनी पत्नी स्व0 श्रीमती द्वारिका देवी पत्नी गिरिराज प्रसाद के हक में दिनांक 12.08.2021 को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के द्वारा खसरा नम्बर 1320, 1321, 1329, 1351, 1352, 1385, 1389, 1399, 1400, 1401 कुल किता 11 कुल रकबा 5.5511 हैक्टेयर भूमि का अपने दर्ज हिस्से 1/2 का दान पत्र कर दिया था जिसका नामांतकरण वादी की पत्नी के नाम से नामांतकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो खोला गया उसमें उक्त दान पत्र कर्ता के द्वारा दिये गये खसरा नम्बरान के अलावा शेष खसरा नम्बरान 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2 1342, 1343 कुल किता 12 कुल रकबा 2.6049 हैक्टेयर भूमि का भी नामांतकरण गलत रूप से वादी की पत्नी के नाम दर्ज कर दिया गया चूंकि वादी की पत्नी का स्वर्गवास होने पर उसका

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

विरासत का नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज कर दिया इसलिए उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के नाम से दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात का नामांतकरण दान पत्र दिनांक 12.08.2021 के आधार पर खुलना चाहिए था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से सम्पूर्ण भूमि का नामांतकरण वादी की पत्नी के नाम दर्ज कर दिया जो काबिले दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा दान करने के पश्चात् शेष बची आराजीयात पर वादी तन्हा रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है जिससे प्रतिवादीगण या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध सरोकार नहीं है। इस प्रकार उक्त त्रुटि मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्ती है। वादी ने दिनांक 14.12.2023 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदारजी ने उक्त त्रुटि दुरूस्त करने हेतु मना कर दिया एवं माननीय न्यायालय में जाकर चाराजोही करने की हिदायत दी, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 14.12.2023 को पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे वादी का वाद–पत्र अवधिकाल में ही प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात एवं पक्षकार का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद–पत्रकी सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 बाद तामिल भी अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 05 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल शर्मा उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे वादी का वाद मुताबिक अनुतोष वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं0 02 लगायत 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 12.08.2021 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार...............3

ख0न0 1320, 1321, 1323, 1329, 1351, 1352, 1385, 1389, 1399, 1400, 1401 कुल किता 11 कुल रकबा 5.5511 है0 भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर मे से 1/2 हिस्से की आराजी का दान पत्र दृवारिका देवी पत्नि गिरिराज प्रसाद के पक्ष मे किया गया था। नामान्तकरण सं0 4662 दिनांक 15.09.2021 द्वारा दान पत्र की आराजी के अलावा ख0न0 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342,1343 फागी उत्तर का भी नामान्तकरण दवारिका देवी पत्नि गिरिराज प्रसाद के पक्ष मे तस्दीक कर दिया गया था। दवारिका देवी पत्नि गिरिराज प्रसाद के फौत होने पर उक्त आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 के पक्ष मे नामान्तकरण सं0 4779 दिनांक द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 ने अपने जबाब मे वादी का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

चूँकि उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादी द्वारा जरिये रजि0 दान पत्र द्वारा ख0न0 1320, 1321, 1323, 1329, 1351, 1352, 1385, 1389, 1399, 1400, 1401 कुल किता 11 कुल रकबा 5.5511 है0 भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर मे से 1/2 हिस्से की आराजी का दान पत्र किया गया था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा सहवन से दान पत्र आराजी के साथ – साथ अन्य आराजी ख0न0 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342,1343 फागी उत्तर का नामान्तकरण भी प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 की माता के पक्ष मे तस्दीक कर दिया गया था। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343 कुल किता 12 कुल रकबा 2.6049 है0 भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला दूदू मे स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/5/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

गिर्राज बनाम तहसीलदार वगै0
मु0न0:– 01/2024
निर्णय दिनाक–23.05.2024

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

गिर्राज पुत्र रामचन्द्र जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू।

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील फागी, जिला जयपुर, राज0।
2. कृष्णा तिवाडी पुत्री गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
3. पुष्पेन्द्र तिवाडी पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0
4. सुनिता दुर्गा देवी पत्नी मदनलाल
5. सुनिल कुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज0।

::– वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 01/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री पुरूषोतम शर्मा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री विशाल शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1342, 1343 कुल किता 12 कुल रकबा 2.6049 है0 भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला दूदू मे स्थित आराजीयात मे प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज..........मुबलिग..........बाबत..........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी..........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..........का अदा करे।

बरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/05/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी सत्यमेव जयते जिला – दूदू

दस्तखत 23/5/24
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट:- आदेश दिनांक 12.7.24 के अनुसार प्रतिवादी सं. 4 सुनिता दुर्गा देवी पत्नी मदनलाल के स्थान पर सुनिता शर्मा पुत्री गिरिराज प्रसाद जाति बारागांव ब्राह्मण निवासी फागी तहसील फागी जिला दूदू राज. पढ़ा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

23/5/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू